42

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 492-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 26-04-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 129/अपील/2012-13

1-गजराजसिंह पुत्र स्व0श्री उमराव सिंह
2-भैरोंसिंह पुत्र स्व0श्री उमराव सिंह (मृत)
वारिसान -
1-तेजूबाई विधवा स्व0श्री भैरो सिंह
2-नीरज पुत्र स्व0श्री भैरोसिंह
3-उमर पुत्र स्व0श्री भैरोसिंह
क्रमांक 2 व 3 अव्यस्क
संरक्षिका माता स्वयं तेजूबाई
निवासीगण ग्राम शाहपुरा तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

दिलीप सिंह पुत्र सरदारसिंह
निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील इछावर
जिला सीहोर म0प्र0 .....अनावेदक

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रताप भानु, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/19 **को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा एक आवेदन संहिता की धारा 115, 116 के तहत नायब तहसीलदार इछावर के समक्ष खसरा वर्ष 1963-64 एवं 1964-65 के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रतनपुर तहसील इछावर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 269 रकबा 11.88 एकड़ उसके पिता स्व0सरदारपुर पुत्र जौरा को शासन द्वारा प्रदान की गई थी । उक्त विवादित भूमि पर आवेदकगण का नाम समान भाग पर बगैर किसी बटवारा/अंतरण दस्तावेज के दर्ज कर दिया गया है इसलिये अभिलेख दुरूस्त किया जाये । इस आधार पर प्रकरण दर्ज होकर विधिवत आवेदकगण को सूचना पत्र प्राप्त होने पर जबाव एवं प्रमाण प्रस्तुत करते हुये कहा कि उक्त विवादित भूमि पैत्रक होकर अनावेदक एवं आवेदकगण के पिता के नाम समान भाग पर वर्ष 1959 से लगातार दर्ज है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23-4-2012 को आदेश पारित कर अनावेदक को उसके पिता सरदारसिंह से 2.00 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है । उक्त प्रकरण में उभयपक्ष के पिताओं के स्वीकारोक्ति के कथन एवं सहमति के हस्ताक्षर भी है, के आधार पर अनावेदक का आवेदन निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18-10-2012 को आदेश पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-04-2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अपीलीय न्यायालयों द्वारा साक्ष्य एवं रिकार्ड के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) विवादित भूमि पैत्रक संपत्ति होकर उभयपक्ष के पिताओं के नाम किश्तबंदी खतौनी एवं खसरे में समान भाग दर्ज है जो अभिलेख पर उपलब्ध है इसलिये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) प्रथम अपीलीय न्यायालयों ने खसरे पर प्रस्तुतकर्ता एवं जारीकर्ता कर्मचारी के विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही करने के बजाय उस पर ही केंद्रित रहकर अस्पष्ट आदेश पारित किया है जो विधि अनुसार आदेश की परिधि में नहीं आता है जिसकी पुष्टि करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय भी भूल की गई है ।

(4) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा गोलमोल आदेश पारित कर विचारण न्यायालय के विधि अनुसार पारित आदेश को निरस्त कर वाद बहुलता को बढावा दिया गया है और ऐसे त्रूटिपूर्ण आदेश की आलोच्य आदेश द्वारा पुष्टिकरने में भूल की गई है ।

उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-4-12 स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा निकाले गये वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी/अपर आयुक्त ने उमराव का नाम भू-अभिलेख में आने पर प्रश्नचिन्ह तो लगाए हैं तथा तहसील का प्रश्नाधीन आदेश निरस्त भी किया है लेकिन तहसील में अनावेदक के आवेदन पर पुन: सभी को सुनकर आदेश को कहना था, वह नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी / अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखते हुये तहसील न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अनावेदक के आवेदन पर पुन: जॉच कर निर्णय लेवे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर